संख्या: 18/9/95/का-2/2001

प्रेषक,

डा0 हरिकृष्ण,
सचिव,
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

1- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2- समस्त विभागाध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उ0प्र0।
3- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।

कार्मिक अनुभाग-2 दिनांक: लखनऊ: 13 दिसम्बर, 2001

विषय: उत्तरांचल राज्य के नागरिकों को अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण की अनुमन्यता के सम्बन्ध में।

महोदय,

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 यथा संशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2001 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 21 सन् 2001) में नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अनुमन्य है।

2. राज्याधीन लोक सेवाओं और पदों में सीधी भर्ती के प्रक्रम पर नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के मामले में अनुमन्य आरक्षण केवल उत्तर प्रदेश के निवासी उन जातियों के व्यक्तियों को ही अनुमन्य होगा जो अधिनियम की धारा-2 के अधीन विनिर्दिष्ट अनुसूची-एक में सम्मिलित हो।

3. अत: इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पृथक उत्तरांचल राज्य के गठन के फलस्वरूप राज्याधीन सेवाओं में सीधी भर्ती के प्रक्रम पर उत्तरांचल राज्य के नागरिकों को अन्य पिछड़ा वर्ग में होने के आधार पर आरक्षण अनुमन्य नहीं होगा।

4. दिनांक 9-11-2000 से पृथक उत्तरांचल राज्य का गठन हो गया है और उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 24 एवं 25 द्वारा क्रमश: संविधान (अनुसूचित जातियाँ) आदेश, 1950 तथा संविधान (अनुसूचित जनजातियाँ) आदेश, 1950 को, पुनर्गठन अधिनियम की पाँचवी एवं छठी

....2/-

अनुसूची में यथा निदेशित, संशोधित कर दिया गया है। तदनुसार उत्तरांचल राज्य के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, पुनर्गठन अधिनियम की पाँचवी एवं छठी अनुसूची में पृथक रूप से चिन्हित हो चुके हैं। अत: उत्तराँचल राज्य के विनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति का कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश की राजाधीन सेवाओं में अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के लिए अनुबन्धित आरक्षण का लाभ नहीं पा सकेगे।

कृपया तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(हरि कृष्ण)
सचिव ।

संख्या-18/9/95/का-2/2001 तद्दिनांक

प्रतिलिपि सचिवालय के समस्त अनुभागों को प्रेषित।

आज्ञा से,

(बी0एन0 दीक्षित)
विशेष सचिव ।